SHIKSHA SAMVAD
International Open Access Peer-Reviewed & Refereed
Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
Volume-1, Issue-4, June- 2024
www.shikshasamvad.com

भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं मातृभाषा हिन्दी का योगदान

महिमा
शोधार्थिनी
ग्लोकल विश्वविद्याल,
सहारनपुर (उ0प्र0)

डॉ0 नवनिता भाटिया
शोध पर्यवेक्षिका
ग्लोकल विश्वविद्याल,
सहारनपुर (उ0प्र0)

सारांश–

भारत में पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जनभागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 ख के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायती राज, राज्य सूची का विषय है।[1]

आज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण संगठन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह विकेंद्रीकरण संगठन के अनेक स्तरों तथा व्यक्तियों के सत्ता के विभाजन व्यवस्था है। विकेंद्रीकरण व्यवस्था का मूल तत्व सत्ता का स्थानांतरण होता है, जिससे अधिनस्थ अधिकारियों को स्वेच्छा से कार्य करने को सौंपा जाता है तथा उच्च अधिकारियों की समस्या से कम से कम संबंध रहता है।

मुख्य शब्द– *विकेंद्रीकरण, लोकतन्त्र, उत्तरदायित्व, अधीनस्थ, स्वायत्तशासी ।*

इस व्यवस्था में निर्वाचित स्थानीय निकायों के हाथों में अधिक शक्ति दी जाती है जिससे प्रशासन के कार्यों में जनता का पूरा सहयोग रहता है। ऐसी व्यवस्था में मुख्य कार्यालय से दूर जनता के निकट की क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक स्वतंत्रता मिल जाती है इन्हें विभिन्न कार्यों के संपन्न करने हेतु विभिन्न विभागों के कार्य की स्वतंत्रता दी जाती है। संक्षेप में विकेंद्रीकरण में प्रशासनिक तथा राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण में लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाया जाता है जिसके फलस्वरूप संगठन के निम्न अधिकारियों को भी कई मामलों में निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

इस विकेंद्रीकरण का मुख्य तत्व विकेंद्रीकरण की भांति निर्णय शक्ति के वितरण में नहीं है विकेंद्रीकरण संगठन में बहुत सारी समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने की शक्ति विभाग के स्थानीय अधिकारियों को दी जाती है तथा ऐसी व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं विभागीय अध्यक्ष तक पहुंचती है इसलिए यह ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा अंतिम आदेश देने की शक्ति तथा परिणामों का उत्तरदायित्व पूरे देश में स्थित इकाइयों को सौंपा जाता है, इसलिए कुशल एवं प्रभावी कार्य हेतु अधीनस्थ अधिकारियों तथा उप–विभागों को कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपना ही विकेंद्रीकरण का सार है, अर्थात् अधिकारियों और शक्तियों का केंद्रीय सत्ता की ओर से प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन संस्थाओं के बीच विभाजन ही विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से उल्टी होती है और उसमें स्थानीय उपक्रम तथा साधनशीलता पर विशेष जोर दिया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन की शक्तियों का, केंद्र सरकार तथा राज्यों की सरकारों के बीच विभाजन कर दिया जाता है। आधुनिक सरकार अपने कार्य का बोझ हल्का करने के लिए स्थानीय मामलों से संबंधित कार्य स्थानीय संस्थाओं को सौंप देती है।[2]

जनता द्वारा जनता का शासन लोकतंत्र का आधार है। यही लोकतंत्र का मूल मंत्र है गांधीवादी जीवन दर्शन के अनुसार राजनीति के क्षेत्र में ग्राम पंचायत और अर्थ के क्षेत्र में परखा केंद्रीकरण के जीवंत रूप है। ब्रिटिश शासकों ने स्वायत्तशासी संस्थाओं की स्थापना द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया।

शासन सत्ता के विकेंद्रीकरण की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। बाल्मीकि रामायण में छोटे–छोटे जनपदों का उल्लेख मिलता है महाभारत काल में भी अनेक छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। भारतमुनि प्रणित नाट्यशास्त्र में भी जनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। जिस प्रकार आजकल समस्त राज्यों को एक केंद्रीय सत्ता के प्रति उत्तरदाई बनाने के लिए फेडरल संघ स्थापित करते हैं, उसी प्रकार प्राचीन भारत में केंद्रीय सत्ता की प्रतिष्ठा हेतु राजसूर्य यज्ञ किया जाता था।

भारत के संविधान निर्माताओं का ध्यान विकेंद्रीकरण की ओर बराबर रहा और इसी को लक्ष्य करके उन्होंने विकेंद्रीकरण की परिकल्पना की तथा राज्य को अधिकारिक अधिकार देने की व्यवस्था की परंतु साथ ही इस प्रकार का भी प्रावधान कर दिया कि राज्य सदैव केंद्र के मुखापेक्षी बने रहें तथा राज्य के शासन प्रशासन की लगाम केंद्रीय सरकार के हाथों में रहे। फल स्वरुप राज्यों द्वारा अधिक कार्य अधिक अधिकारों की मांग समय–समय पर उठती रही है। इतना ही नहीं कई मुख्यमंत्रियों ने केंद्र के प्रति टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दी। बंगाल तमिलनाडु ने अपनी शासन सत्ता इस प्रकार बना दी कि मानों वे केंद्र के प्रति उत्तरदायी ही नहीं है। जो भी

हो दोनों स्थितियां अतिवादी हैं केंद्र राज्य के राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्यमंत्री भी नियुक्त करें चाहे जब बहुमत प्राप्त राज्य सरकार को बर्खास्त कर दे आदि दूसरी और अति का स्वरूप यह हो जाए कि राज्य अपनी समानांतर सरकार चलाने लगें।[3]

विकेंद्रीकरण के गुण :–

1. यह लोकतांत्रिक होता है, क्योंकि इसमें अधिकारियों के बीच कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है और अधिक कार्य स्थानीय तथा निम्न अधिकारियों को सौंप दिए जाते हैं।
2. इसी तरह इसमें प्रशासनिक कार्य बिना जानकारी के नहीं किए जाते हैं क्योंकि इनमें प्रशासन का संबंध स्थानीय समस्याओं से होता है जिसकी उसको पूरी जानकारी होती है इसलिए गलत कार्य नहीं होता है।
3. इस प्रणाली के कार्यों में विकेंद्रीकरण होने के कारण कार्यों में सुगमता तथा तीव्रता आती है।
4. इससे प्रशासन में कार्यकुशलता आती है तथा लालफीताशाही नहीं पनपती।[4]

विकेंद्रीकरण के अवगुण :–

1. इसमें एकरूपता का अभाव होता है। इसकी वजह से सब अपनी डफली अपना राग अलापते हैं।
2. यह प्रणाली खर्चीली है।
3. इसमें समन्वय का पूर्ण अभाव रहता है।
4. इसमें स्थानीय समस्या की इतनी उलझन होती है कि कोई राष्ट्र के बारे में नहीं सोचता है जिससे राष्ट्रीय हित की उपेक्षा होती है।

विकेंद्रीकरण की व्यवस्था से प्रशासनिक संगठन के विभिन्न स्तरों एवं इकाइयों के अंतर्गत उस क्षमता का विकास होता है जिसमें सबसे अधिक वांछित निर्णय लिए जा सकते हैं। यह व्यवस्था प्रशासकीय स्तर पर सहायक होती है यह संगठन एवं जनसाधारण के बीच उचित संपर्क स्थापित करती है।[5]

विकेंद्रीकरण के तत्व :–

चार प्रकार के ऐसे तत्व जो विकेंद्रीकरण को प्रभावित करते दिखाई देते हैं वे इस प्रकार हैं–

1. उत्तरदायित्व तत्व
2. प्रशासनिक तत्व
3. कार्यात्मक तत्व
4. बाह्य तत्व[6]

उत्तरदायित्व का तत्व प्रायः विकेंद्रीकरण के विपरीत कार्य करता है क्योंकि संगठन में जो कुछ भी कार्य होता है उसका अंतिम उत्तरदायित्व उस के अध्यक्ष पर होता है। वे स्वाभाविक तौर पर विकेंद्रित करने का अनिच्छुक होता है और वह अधिक महत्वपूर्ण विषयों को अपने हाथ में रखना चाहता है।

जहां नीति में बार–बार परिवर्तन हो वहां विकेंद्रीकरण में बाधा पड़ती है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मियों की योग्यताएं। यदि इस क्षेत्रीय कर्मचारी योग्य है तो विकेंद्रीकरण आसान होगा, अन्यथा विकेंद्रीकरण अवश्यम्भावि है। ऊपर दिए गए विकेन्द्रीयकरण के तत्व उदहारण माना है।[7]

विकेंद्रीकरण को कार्यात्मक तत्व कई तरीकों से प्रभावित करता है। यदि एक विभाग कई कार्य करता है और वे तकनीकी प्रकार के हैं तो वहां विकेंद्रीकरण का होना आवश्यक है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के पास इन सभी कार्यों को प्रबंध करने के लिए उचित समय होता है और ना ही अनिवार्य योग्यताएं। उसके लिए जरूरी है प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य किसी स्वास्थ्य डिवीजन या शाखा को सौंपा जाए और वह उसके परामर्श पर कार्य करें।

अंत में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो विकेंद्रीकरण के प्रश्न को प्रभावित करते हैं।[8] उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष कहा जा सकता है कि अनेक समस्याओं के बावजूद भारत में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति है और इसका ताजा उदाहरण पंचायती राज को प्रभावी बनाना है हालांकि उदारवाद का बढ़ता प्रभाव विकेंद्रीकरण के मार्ग में एक अन्य बाधा है क्योंकि इसकी सफलता शक्ति के केंद्रीकरण पर निर्भर है। छोटे राज्यों को अधिकार देने तथा अधिकारों को वापस लेने का अधिकार केंद्र के पास सुरक्षित रखकर अनेक आशंकाओं को समाप्त किया जा सकता है।

: सन्दर्भ सूची :

1. समसामयिक घटना चक्र अतिरिक्तांक पूर्वावलोकन भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन 2020 पृष्ठ संख्या–226
2. डॉ० सुभाष कश्यप, विश्व प्रकाश गुप्ता, राजनीति कोष हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली द्वारा प्रकाशित तथा बंगाल ऑफसेट करोल बाग, दिल्ली द्वारा मुद्रित, पृष्ठ.87
3. डॉ० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, उपकार पॉपुलर हिंदी निबंध, उपकार प्रकाशन आगरा, पृष्ठ–26डी
4. प्रतियोगिता दर्पण, लोकप्रशासन, उपकार प्रशासन, आगरा, 2008 सीरीज –23166
5. वही सीरीज 23–166

6. डॉ० बी० एल० फदिया, प्रतियोगिता साहित्य यू० जी० सी० नेटस्लेट, राजनीति विज्ञान, प्रकाशन–साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, पृष्ठ– 4,24
7. श्रॅ.. मिजमत पद मसमउमदजे वि च्निइसपब ।कउपदपेजतंजपवद, मकपजमक इल ड.डंताए च. 269.76
8. डॉ0 एस0पी0 शर्मा, डॉ0 बी0एल0 सडाना, लोकप्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, किताब मंडल, 22–ए, सरोजिनी नायडू मार्ग, इलाहबाद, पृष्ठ – 205

SHIKSHA SAMVAD
PASSION TOWARDS EXCELLENCE

SHIKSHA SAMVAD

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed or Refereed Research Journal
ISSN: 2584-0983 (Online) Impact-Factor, RPRI-3.87
Volume-01, Issue-04, June- 2024
www.shikshasamvad.com
Certificate Number-June-2024/38

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

महिमा और डॉ0 नवनिता भाटिया

For publication of research paper title

"भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं मातृभाषा हिन्दी का योगदान"

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-01, Issue-04, Month June, Year- 2024, Impact-Factor, RPRI-3.87.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.shikshasamvad.com